

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-पि०व०/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)- 26, 3/20

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
सारण, कदमकुआँ (पटना), मुजफ्फरपुर, कटिहार, जमुई,
भोजपुर, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, शिवहर एवं सीतामढ़ी को छोड़कर।

पटना, दिनांक- 19/03/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ कार्यालय व्यय एवं विद्युत प्रभार मद में कुल राशि रू० 1,57,25,093/- (रू० एक करोड़ सत्तावन लाख पच्चीस हजार तिरानवें) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ कार्यालय व्यय एवं विद्युत प्रभार मद में क्रमशः रू० 19,60,000/- एवं रू० 1,37,65,093/- अर्थात् कुल राशि रू० 1,57,25,093/- (रू० एक करोड़ सत्तावन लाख पच्चीस हजार तिरानवें) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2- कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष-13.01-कार्यालय व्यय एवं 13.04-विद्युत प्रभार इकाई, विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-277-0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। निकासी की गई राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-292, दिनांक-11.02.2021 में निहित निदेश का अनुपालन करते हुए करेंगे। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6- प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

P.T.O


ज्ञापांक-पि०व०/बजट-30-02/2015(खण्ड-II)- 26, पटना, दिनांक- 19/03/2026.
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/विभागीय बजट शाखा को (CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ आवंटित राशि का विवरण :-

विपत्र कोड-11-2225-03-277-0010		(राशि रु० में)		
क्र० सं०	विद्यालय का नाम	13.01-कार्यालय व्यय	13.04-विद्युत प्रभार	योग
1	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० मुंगेर	70000		70000
2	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० रोहतास	70000		70000
3	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० समस्तीपुर	70000		70000
4	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० दरभंगा	70000	140000	210000
5	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० सहरसा	70000	1570602	1640602
6	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० पूर्णियाँ	70000	1300000	1370000
7	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० अटमलगोला, पटना	70000		70000
8	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० भागलपुर	70000	800000	870000
9	अ०पि०व० कन्या आवासीय +2 उ०वि० गया	70000	2800000	2870000
10	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय अररिया	70000	800000	870000
11	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय अरवल	70000	129491	199491
12	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय औरंगाबाद	70000		70000
13	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय किशनगंज	70000		70000
14	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय कैमूर	70000	600000	670000
15	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खगडिया	70000	800000	870000
16	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय गोपालगंज	70000	100000	170000
17	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद	70000	2800000	2870000

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	13.01-कार्यालय व्यय	13.04-विद्युत प्रभार	योग
18	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय नवादा	70000	25000	95000
19	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय नालंदा	70000	400000	470000
20	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय प० चम्पारण	70000		70000
21	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय पूर्वि चम्पारण	70000		70000
22	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय बक्सर	70000		70000
23	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय बाँका	70000		70000
24	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय बेगूसराय	70000		70000
25	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय मधेपुरा	70000	1000000	1070000
26	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय शेखपुरा	70000		70000
27	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय सिवान	70000		70000
28	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय सुपौल	70000	500000	570000
	कुल योग	1960000	13765093	15725093

कुल राशि (रु० एक करोड़ सत्तावन लाख पच्चीस हजार तिरानवें) मात्र।

पत्रांक- 26.

दिनांक- 19/03/2026.

का अनुलग्नक

19/03/2026
सरकार के अपर सचिव।